भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-414
उत्तर देने की तारीख-02/02/2026

शैक्षणिक संस्थानों में एसोसिएट प्रोफेसर के रिक्त पद

414. डॉ.फग्गन सिंह कुलस्ते:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या यह सच है कि देश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालयों/अनुदान प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों में एसोसिएट प्रोफेसर के पद वर्तमान में विभिन्न श्रेणियों (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) में खाली पड़े हैं;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पदों की श्रेणीवार और संस्थानवार संख्या कितनी है;
(ग) इन खाली पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा अब तक कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या इन पदों को भरने के लिए कोई विशेष समयसीमा निर्धारित की गई है; और
(ङ.) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकांत मजूमदार)

(क) से (ङ) शिक्षा मंत्रालय के तहत केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थान (सीएचईआई) जिनमें केंद्रीय विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, संसद के संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित सांविधिक स्वायत्त संगठन हैं और उनके तहत बनाए अधिनियमों/संविधियां/अध्यादेशों/ विनियमों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होते हैं। स्वायत्त संस्थानों के रूप में, संकाय भर्ती (एसोसिएट प्रोफेसरों सहित) संस्थानों के भीतर ही उनके अधिनियमों और विनियमों के अनुसार की जाती है। भर्ती के अधिकार संबंधित शासी बोर्ड/कार्यकारी समिति/प्रबंधन बोर्ड के पास निहित हैं और इसमें मंत्रालय की कोई सक्रिय भूमिका शामिल नहीं है।

रिक्तियों का होना और उनका भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। ये रिक्तियां पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, नई संस्थाओं, योजनाओं या परियोजनाओं के खुलने तथा मौजूदा संस्थाओं में छात्रों की संख्या में वृद्धि और क्षमता विस्तार संबंधी अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती हैं।

राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधित राज्य अधिनियमों के माध्यम से की जाती है और उनमें रिक्तियां संबंधित राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों द्वारा ही भरी जाती हैं। राज्य विश्वविद्यालयों की रिक्तियों का विवरण केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

सरकार ने केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 को दिनांक 09.07.2019 को अधिसूचित किया ताकि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की नियुक्ति में शिक्षकों के संवर्ग में आरक्षण प्रदान किया जा सके। उक्त अधिनियम के अनुसरण में दिनांक 12.7.2019 की अधिसूचना के अनुसार शिक्षकों के संवर्ग में अनुसूचित जातियों के लिए 15%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया गया है।

अगस्त, 2021 में, शिक्षा मंत्रालय के तहत सभी केंद्रीय शिक्षा संस्थानों से अनुरोध किया गया था कि वे मिशन मोड में अपने संस्थानों में बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाएं। केंद्रीय शिक्षा संस्थानों ने अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सहित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाए। सितंबर 2022 में, शिक्षा मंत्रालय ने सभी केंद्रीय शिक्षा संस्थानों से मिशन मोड में रिक्तियों को भरने का भी आग्रह किया था। अक्टूबर 2025 में, सभी केंद्रीय शिक्षा संस्थानों से एक वर्ष की अवधि के भीतर मिशन मोड में सभी बैकलॉग रिक्तियों को भरने का फिर से अनुरोध किया गया है। सितंबर 2022 से, केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित सभी केंद्रीय शिक्षा संस्थानों ने रिक्तियों को भरने के लिए मिशन मोड भर्ती अभियान चलाया है। दिनांक 24.10.2025 (अर्थात रोजगार मेले की 17वीं किश्त की तारीख) तक, मिशन मोड में सभी केंद्रीय शिक्षा संस्थानों द्वारा कुल 29979 पद भरे गए हैं, जिसमें 17494 संकाय पद शामिल हैं। इन 29979 पदों में से, उक्त अवधि के दौरान, केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने अकेले 8327 संकाय पदों सहित 12604 पद भरे हैं।

*****